न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 37 / 2017

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 मांगीलाल पुत्र केसुलाल जाति पुरोहित		1 दरियाबाई पत्नि जसराम जाति पुरोहित निवासी खटुकडा
2 अर्जुनसिंह पुत्र केसूलाल जाति पुरोहित		2 श्रीमति लीला पुत्री जसराज पत्नि मोहनसिंह पुरोहित निवासी रानी
3 जेठूसिंह पुत्र केसूलाल के का0मु0		3 ग्राम पंचायत नादाना भाटान जरिये सरपंच
3 / 1 मुकेश पुत्र जेठूसिंह		4 गवरी पुत्री केसूलाल पत्नि गोरधनसिंह जाति पुरोहित निवासी पावा तहसील सुमेरपुर
3 / 2 भरतसिंह पुत्र जेठूसिंह जाति पुरोहित निवासगण खटुकडा तहसील रानी		5 भंवरी पुत्र केसुलाल पत्नि घीसूसिंह जाति पुरोहित निवासी जवाली तहसील रानी
		6 सुखिया पुत्री केसूलाल पत्नि घीसूलाल जाति पुरोहित निवासी रानी गांव
		7 कमला पुत्री केसूलाल पत्नि पुखसिंह जाति पुरोहित निवासी पावा तहसील सुमेरपुर
		8 सविता पत्नि जेठूसिंह जाति पुरोहित निवासी खटुकडा
		9 किरण पुत्री जेठूसिंह पत्नि रणजीतसिंह निवासी खिन्दारा गांव तहसील सुमेरपुर
		10 डिम्पल पुत्री जेठूसिंह पत्नि परबतसिंह निवासी खिन्दारा गांव तहसील सुमेरपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री नरपतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 29/9/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत नादाना भाटान द्वारा मिसल संख्या 108 / 1990–1991 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 30.09.1990 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संख्या 111 दिनांक 05.07.1990 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अनुपस्थित रहे है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खुटुकडा में प्रार्थीगण का पुश्तैनी मकान आया हुआ स्थित है। उक्त मकान का निर्माण केसूलाल ने अपने जीवनकाल में स्वयं की आमदनी से करवाया है। केसूलाल ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत अपने पुत्रों अर्जुनसिंह, जेठूसिंह व मांगीलाल के पक्ष में दिनांक 30.08.1997 को निष्पादित की, जिसमें उन्होने अपनी खातेदारी भूमि एवं उक्त मकान की भूमि वसीयत की है। अप्रार्थी संख्या 1 केसूलाल की पुत्री है, जो केसूलाल की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण ने उक्त मकान अप्रार्थी संख्या 1 को निवास हेतु दिया, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का अपने नाम का पट्टा ग्राम पंचायत से मिलीभगत करते हुए जारी करवाया। जैर निगरनी आज्ञा की मिसल की प्रथम आदेशिका दिनांक 27.07.1990 को एक रिपोर्ट पर मिसल दर्ज करने का अंकित किया है, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध ही नही थी। किसी प्रकार का आवेदन पत्र ही पेश नही हुआ, न ही किसी प्रकार की मिसल कायमी शुल्क या नक्शा शुल्क आदि प्राप्त करने का कोई अंकन ही है। दिनांक 27.07.1990 क अगले ही दिन दिनांक 28.07.1990 को बैठक में पत्रावली पेश होने व पंचान द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने व पंचायत सदस्यों द्वारा भूमि विक्रय का अस्थाई निर्णय किया जाना अंकित करते हुए एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया जाना अंकित किया गया है, जबकि ऐसा कोई आपत्ति पत्र पत्रावली के संलग्न नही है। मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार की टिप्पणी अंकित नही है कि मौके पर अप्रार्थी का कब्जा है या नही ? इस बाबत कोई तथ्य अंकित नही है। किन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, यह भी अंकित नही है। किसी भी गवाह के बयान कलबमद्ध नही किये गये। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी पट्टे में भी कांट छांट है। पट्टा जारी करने की तिथी दिनांक 05.07.1990 दर्शाई गई है, जबकि पट्टा जारी करने का निर्णय दिनांक 30.9. 1990 को लिया गया है, अर्थात प्रस्ताव व निर्णय से पूर्व ही पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे को अपास्त करावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता नियत तारीख पेशीयों पर अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

बहस पर मनन किया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत नादाना भाटान द्वारा मिसल संख्या 108/1990–1991 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 30.09.1990 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संख्या 111 दिनांक 05.07.1990 के विरूद्ध पेश की गई है।जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी आज्ञा की मिसल का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का आवेदन ही पेश नही किया। राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत

आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। जैर निगरानी आज्ञा की मिसल का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र ही पेश नही किया गया। इस प्रकार प्रकरण में नियम 256 (1) का उल्लंघन किया गया है। आदेशिका दिनांक 27.07.1990 को लिखी गई है, जिसमें मिसल कायम करने तथा सचिव को नक्शा बनाने के एवं पंचों को मौका निरीक्षण के भी आदेश पारित किये गये। मिसल की आदेशिकाओं को ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण से Compare करने पर यह प्रकट होता है कि जिस दिनांक को आदेशिका लिखी गई, उस दिनांक 27.07.1990 को ग्राम पंचायत की बैठक ही नही हुई, इस प्रकार कोरम के अभाव में मात्र सरपंच द्वारा बिना किसी प्रस्ताव के, मिसल दर्ज करने के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है। इस आदेश के पालना में नक्शा तैयार किया गया, जिस पर नक्शा तैयार करने वाले के हस्ताक्षर ही नही है। इस प्रकार प्रकरण में नियम 257 का भी उल्लंघन किया गया है। इसके पश्चात दिनांक 28.07.1990 की आदेशिका अनुसार नक्शा प्रस्तुत होना तथा पंचो की रिपोर्ट पेश किया जाना अंकित है तथा नियम 266 के तहत विक्रय करने का आदेश पारित करते हुए एक माह का आपत्ति पत्र जारी करने के आदेश पारित किये गये, जबकि मिसल में किसी प्रकार का आपत्ति इश्तिहार जारी नही किया गया। इस दिनांक की बैठक कार्यवाही विवरण में जैर निगरानी मिसल का अंकन ही नही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त मिसल इस बैठक में भी ग्राम पंचायत के कोरम के समक्ष प्रस्तुत ही नही हुई। इस आदेशिका की पालना में कोई नोटिस जारी नही किया गया। यह स्थिति नियम 260 का उल्लंघन है। इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 01.09.1990 के अनुसार किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध करने के आदेश पारित किये गये, किन्तु पत्रावली के संलग्न ऐसे कोई बयान नही है, जो जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे को समर्थन करता हो। इसके पश्चात दिनांक 30.09.1990 को मिसल में निर्णय पारित करते हुए नियम 266 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा पारित की गई है। उपरोक्त विवरण के अनुसार यह स्पष्ट हो चुका है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में विहित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत नादाना भाटान द्वारा मिसल संख्या 108/1990–1991 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 30.09.1990 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संख्या 111 दिनांक 05.07.1990 को खारिज रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत नादाना भाटान का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/9/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली